



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0

चैत्र 10, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 126/XXXVI(3)/2010/14(1)/2011

देहरादून, 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 30 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 13 में
अन्तःस्थापन

2-उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 13 की उपधारा (11) के पश्चात् निम्नवत् उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

“(12) इस धारा के उपर्युक्त प्राविधानों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा उचित समझा जाय, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को “प्रशासक” के रूप में, निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक अथवा एक बार में छः माह के लिए और सकल रूप से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जो भी पहले हो, मण्डी समिति की कार्यावधि के ऐसे अवसान की तारीख पर, विद्यमान मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्त कर सकती है, अर्थात् :-

(क) उपखण्ड (ख) में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन प्रशासक द्वारा नहीं किया जा सकेगा ;

(ग) राज्य सरकार, इस उपधारा के अधीन प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति के लिए समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिमाणिक उपबन्ध कर सकेगी;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।”

निरसन एवं
अपवाद

3-(1) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘The Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Act, 2011’ (Adhiniyam Sankhya 05 of 2011) :--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 30, 2011.

No. 126/XXXVI(3)/2010/14(1)/2011

Dated Dehradun, March 31, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND KRISHI UTPADAN MANDI (AMENDMENT) ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT No. 05 of 2011)

To further amend The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand

AN

ACT

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the 62nd year of the Republic of India, as follows :--

Short Title and
Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force atonce.

Insertion
section 13

in 2. After sub-section (11) of section 13 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (as applicable to the State of Uttarakhand), the following sub-section shall be inserted in its application to the State of Uttarakhand: namely :-

“(12) Notwithstanding anything contained in the above provisions of this section, the State Government may appoint, by notification the Collector of concerning district by name or by office “as administrator” with prospective or retrospective effect, as it may think fit, for a period of six months for one time and not exceeding total two years or until the constitution of an elected Mandi Samiti, whichever is earlier, in relation to the existing market area on the date of such completing of the tenure of that Mandi Samiti subject to the following provisions; namely :--

(a) except as provided in clause (b), all powers, functions and duties of a Market Committee shall be exercised, performed and discharged by the Administrator to be nominated by the State Government;

(b) the Administrator shall not transfer or acquire any immovable property without prior permission of the State Government;

(c) the State Government may from time to time by notification make such incidental and consequential provisions, prescribing the manner in which the Administrator shall exercise its powers under this sub-section;

(d) every notification issued under this sub-section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislative Assembly.”

Repeal
savings

and

3. (1) The Uttarakhand Krishi Utpadan Mandi (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

RAM SINGH,

Principal Secretary.